

FORM-II
(for project other than linear projects)
Government of Rajasthan
Office of the District Collector, Bharatpur

No. Rev/12/2(3)2021/1871

Date 19/3/2021


TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 646.56 hac. of forest land proposed to be diverted in favour of Assistant Mining Engineer, Mines & Geology Department Roopwas distt. Bharatpur, for non forest purpose in khasra no. 01 area 212.85 hac., 31 area 3.62 hac., 32 area 0.05 hac., 33 area 4.99 hac., 34 area 0.24 hac., 40 area 1.70 hac., 74 area 21.20 hac., 76 area 400.63 hac., 77 area 1.28 hac. total area 646.56 hac. village Bansipaharpur Tehsil Roopwas district Bharatpur.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 646.56 hac. of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure C.
- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who eligible under the FRA.
- The each of concerned Gram Sabha(s) has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Bansipaharpur village(s) is enclosed as annexure A to annexure C.
- The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA.

Encl: As above



(Nathmal Dideh)
District Collector
Bharatpur

सहायक सचिव अधिकारी
रूपवास जिला भरतपुर

No. Rev/12/2(3)2021/1872-1876
Forwarded to:

Copy forwarded to:

- 1- DFO Bharatpur
 - 2- SME Bharatpur
 - 3- Sdm Roopwas
 - 4- Tehsildar Roopwas
 - 5- AME Roopwas

date : 19/3/2021

W. taylor

**District Collector
Bharatpur**

~~प्रकाशनी है तो~~
~~सहाय्य करनी चाहिए औपरवर्ती
खुफ्पवास जिला भरतपुर~~

Page 8

कार्यालय- विकास अधिकारी पंतप्रधान

क्रमांक/पंचायत क्षेत्र आयोजन/2020-21/1129

टिकांक :- 18.03.2021

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਅਮ੍ਰਿਤਕਾਰੀ।

प्राचीन- द्वारा

विषय :- बंसीपहाड़ापुर जल दोष के स्थानिक ए ट वै ले उत्तराखण्ड अस्सीरा एफ.आर.ए. स्टीमिंगकोट जनी जलते सेरु गाँवसेमा जायोग्यता वी अस्सीरी र अस्सीपहाड़ा प्रदान-प्रबन्ध

पुस्तक :- कार्यालय-कलेक्टर एवं जिला भविस्कृत, भाग्यारोग का प्रधान दस्तावेज़/12/2(3)2021
1549 दिवांगी 04.03.2021

प्रयोगका विषयालालित एवं प्रारंभिक पत्र के गढ़ी में विवेदन है कि बंशीप्रहाणपुर यज्ञ दोष के क्षणोंका एहत भी न कुछ अवधिज्ञन के अन्तर्गत यज्ञ आए। अनिष्टिकोट यारी कमी हेतु यज्ञाधिकार अधिगिर्वाम 2006 व 2008 में उन्नित प्रारथालुसार भवन्नुक्तिवाल अवधिज्ञनद्वारा एवं प्रारथालुला पत्र विशासियों को प्रदत्त अधिकारी को कर्तव्यता द्वारा तुष्टे राखा जाना था। अब वाचा लिंगाय द्वितीय वाचा यज्ञ व्यापकार को दृष्टिक्षण द्वारा तुष्टे पत्र संघर्ष में विशेषज्ञ है कि उन्हें

अक्षयकांत ने यह विवरण दिया है कि उनकी जाति अंग्रेज़ भारतपुर के पश्चिम अद्योतक दिया गया। इस एवं सभी पठाड़पुर की परिक्षा IGP-1 के समान 17.03.2021 को उन नवाह अधिकारियों द्वारा अधिकारियों द्वारा 2006 तक 2008 के संसोधित विद्यमान लाल में सजापिण्ठार सह सामान तक कि संसोधित पठाड़पुर वाले वोन के बाहिर उनकी जाति इस कान विवरण के सेक्टर में घोषित की गयी है। लोट-विवरण विवरण अनुसार अंग्रेज़ विवरण जही लाला है तब विवरण अनुसार वाले विवरण विवरण के सेक्टर में घोषित की गयी है। अक्षयकांत ने अक्षयकांत विवरण के सेक्टर में घोषित की गयी है। अक्षयकांत विवरण के सेक्टर में 1,212.85 लाखों में 31.362 लाखों में 12.005 लाखों में 334.990 लाखों में 340.24 लाखों में 401.70 लाखों में 74.21.20 लाखों में 76.400.61 व लाखों में 771.28 हैवेंटर लाइसेंस के द्वारा दिया दीवान राहे से दिया जाता है जो उनके पश्चिम पठाड़पुर को दूरमें घोषित अधिकारियों द्वारा दिया जाता है।

संग्रहालय :- उपरोक्तांशुसार ।

ગુજરાત રાષ્ટ્રરાજી દ્વીપ અધ્યક્ષિક 2020-21/1:30

प्रतिपत्ति - विषय को समझावें एवं अधिकारक घासेवाली हेतु प्रतिपत्ति

१८७२ अधिकारी

१०० अंकारे, कर्मचारी (अस्त्रपुरी)

- वीक्षण आते, किसी वस्तुवर महोदय, बनाउट नमूदः
 - रुपित प्राप्तवर्ती।

परमामृत निर्विकल्प सामग्री (विस्तार)

सहायता अधिनन्ता
रूपदास जला भद्रपुर

पंचायत पहाड़पुर पं. स. रूपनगर जिला भरतपुर (राज.)

राजीव चौहान

तरपन

पहाड़पुर

तेजपाल (भरतपुर) राज.

9895036469

प्रेषित:

श्रीमान्

मेरा पत्रि प्रमाण पत्र
संदर्भ नं. - ५

दिनांक 17-3-2021

मेरा किसान खाता है कि मास प्रतिकृत बाटुकर के गांव वाले गांव
 गांव कोड A & B को मास प्रतिकृत बाटुकर की तरफ
 4 दिनों का 16-3-2021 के लिए पर आवाहन करने के लिए बाटुकर
 गांव कोड A & B को अधिकारी लाल द्वारा दिए गए गांव के लिए
 100 रुपये का जो भी आपत्ति थी।

राजीव
 तेजपाल साहन
 पंचायत पहाड़पुर
 पं. स. रूपनगर, भरतपुर

11
 मास दिक्षापुर शिखकारी
 मास प्रतिकृत बाटुकर
 पं. स. रूपनगर (भरतपुर)

खाते हैं
 १०००

सहायक खानि अधिकारी
 रूपनगर जिला भरतपुर

→ *Chlorophyll a* (μg/m³)

10-3-2021

1976-1977 学年 第一学期
期中考试

पर्याप्त प्रतिक्रिया की गयी है और इसके अनुसार विभिन्न रूपों की जांच की गयी है।

हार्दिकाते अमीरको
गुण विवाह करनेवाला
संस. संस. (लखपुर)

महापक्ष खण्डी अधिदत्ता

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रूपबास, | ज़िला भरतपुर (राज.)
क्रमांक / वन शेत्र / 2021 / 376.

दिनांक - 19/3/2021

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय

भरतपुर

विषय:- बंशीपहाड़पुर वन क्षेत्र के ब्लॉक ए व बी के ग्रामों से संबंधित प्राम सभा के साथ-साथ उपखण्ड कार्यालय में अधिकारी की द्वाइवर्जन के अन्तर्गत एक आर ए स्टीफिकेट के संबंध में।

प्रसंग:- श्रीमान के पत्रांक / राजस्व / 15/10/2021 / 1834 दिनांक 18.03.2021

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासादगिरा पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत इसी बंशीपहाड़पुर वन क्षेत्र के ब्लॉक ए व बी के ग्रामों से संबंधित प्राम सभा के साथ-साथ उपखण्ड कार्यालय में अधिकारी की द्वाइवर्जन के अन्तर्गत एक आर ए स्टीफिकेट के संबंध में अधिकारी की अव्यक्तता में आयोजन किया गया।

क्रमांक	नाम अधिकारी	पद व विभाग
1	श्री सुनील आर्य	उपखण्ड अधिकारी रूपबास
2	श्रीमती दिव्या राठोर	विकास अधिकारी पंचायत समिति रूपबास


क्र. जिला परिषद द्वारा मनोनीत सदस्यों के घरेलुन में कार्यशील नहीं होने के कारण बैठक में उपस्थिति नहीं हो सके।

इस त्रै विकास अधिकारी पंचायत समिति रूपबास द्वारा अवगत कराया गया कि बंशीपहाड़पुर वन क्षेत्र के ब्लॉक ए व बी के द्वाइवर्जन के अन्तर्गत एक आर ए स्टीफिकेट जारी करने हेतु वनाधिकार अधिनियम 2006 व 2008 में अनुसार अनुसूचित जनजातियों एवं परम्परागत वननितासियों को प्रदत्त अधिकारों को संरक्षित रखते हुए ग्राम सभा में उक्त बावत निर्णय लिये जाकर वनाधिकार को दृष्टिगत रखते हुए बंशीपहाड़पुर वन क्षेत्र के ब्लॉक ए व बी के द्वाइवर्जन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र भिजाने के निर्देश दिये गए। इस संदर्भ में श्रीमान के निर्देश की पालना में ग्राम पंचायत पहाड़पुर द्वारा ग्रामसभा का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत पहाड़पुर के खात्र एत वी एल-1 दिनांक 17.03.2021 द्वारा यह अपगत कराया है कि दिनांक 16.03.2021 को इस बावत अधिकार ग्रामसभा में वनाधिकार अधिनियम 2006 एवं 2008 के संशोधित नियम 2012 की जानकारी सदन में दी गई गत विचार विमर्श ये पाया गया कि बंशीपहाड़पुर वन क्षेत्र के ब्लॉक ए व बी अन्तर्गत इस ग्राम पंचायत के लिए कोई भी अनुसूचित जनजाति परिवार निवास नहीं करता है। तथा रिकोर्ड अनुसार ग्राम पंचायत पहाड़पुर में जल मूसि पर किरी भी व्यक्ति को कोई आवासीय या अन्य कोई पटटा जारी नहीं किया है। तथा न ही कोई व्यक्ति क्षेत्र सामान्य/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी क्षेत्र प्रभावित करता है यदि ग्राम पंचायत पहाड़पुर वन क्षेत्र के ब्लॉक ए व बी का वन क्षेत्र जिसमें तहसीलदार रूपबास द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी के अनुसार खसरा न0 1/212.85 , खसरा न0 32/0.05 खसरा न0 4/499 , खसरा न0 34/0.24 , खसरा न0 40/1.70 , खसरा न0 74/21.20 , खसरा न0 76/400.63 व 77/1.28 हैक्टैर शामिल है का द्वाइवर्जन किती सक्षम स्तर से किया जाता है तो ग्राम पंचायत पहाड़पुर को इसमें कोई आपत्ति नहीं है ग्राम पंचायत से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ संलग्न है। एक त्रै उपस्थिति सदस्यों द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति रूपबास द्वारा अवगत करायी गई रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत बंशीपहाड़पुर वन भूमि के प्रस्ताव द्वाइवर्जन हेतु श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को भिजाये गए के निर्णय लिया गया।

बैठक संधन्यवाद समाप्त हुई।



उपखण्ड अधिकारी
रूपबास



सहायक खानि अधिकारी
रूपबास जिला भरतपुर